न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 126 / 2021 अपील / भीलवाडा (GCMS 2023/139)
पंजीयन दिनांक– 13 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक– 27 / 05 / 2024

1. श्रीमती कैलाशी पुत्री मांगीलाल नाई, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।

–अपीलांट

बनाम

श्री रूपा पिता मोहन कटवान, मृतक जरये वारिसानः–

1. सोहन पुत्र उदा कुम्हार, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।
2. सोहन पुत्र मांगू बलाई, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।
3. लेहरू पुत्र लक्ष्मण गाडरी, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।
4. गोकल पुत्र सूरजमल गाडरी, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।
5. शंकर पुत्र नारायण गाडरी, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।
2. लक्ष्मण पुत्र कालु कटवाल, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।
3. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच जोरावरपुरा, निवासी जोरावरपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
   श्री शरद पालीवाल
2. श्री भेरूलाल बापना / – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
   श्री विपुल बापना

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 07 / 2009 निर्णय दिनांक 24.02.2010

निर्णय

दिनांक 27/05/2024

1. अपीलांट द्वारा यह अपील (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा, जिला भीलवाडा के प्रकरण संख्या 07/2009 निर्णय दिनांक 24.02.2010 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2010 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाडा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो कि दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाडा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बकौल अपीलांट ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के नामांतरकरण संख्या 790 दिनांक 05.08.2005 के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिसान 1/1 से 1/5 द्वारा अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 07/2009 निर्णय दिनांक 24.02.2010 से रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिसान 1/1 से 1/5 की अपील स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.07.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किये हैः– ***"अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 बमामले नामांतरकरण संख्या 790 निर्णय दिनांक 05.08.2005 गाके ग्राम जोरावरपुरा स्वीकार की***

जाकर प्रकरण तहसीलदार, माण्डल को निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित नामांतरकरण के संबंध में उपरोक्त ऑबजरवेशन को दृष्टिगत रखते हुए अजसिरे नव निर्णय पारित किया जावें। "

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलंट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री भेरूलाल बापना/श्री विपुल बापना उपस्थित।

5. प्रकरण में इसके साथ ही अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामें के आधार पर (जो कि संलग्न होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, प्रति पत्रावली में संलग्न रहेगी) राजीनामा में वर्णित कलम संख्या 4 राजीनामा अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थीया का कब्जा है व ग्राम पंचायत, जोरावरपुरा द्वारा नामांतरकरण संख्या 790 दिनांक 05.08.2005 को खोला गया है, वह सही होने एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 07/2009 अपील रूपा कटवाल बनाम कैलाशी पुत्री मांगीलाल नाई व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2010 को अपास्त कर दिया जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत समझोता/राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाने पर उनके द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पत्रावली का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि प्रकरण में विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, माण्डल को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

6. उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, माण्डल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. निर्णय की एक प्रति पत्रावली में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर